

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

संघिका सं०-०३/उ०नि०/विविध(TRTC)-०५-४६/२०१६
आदेश

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत **टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (TRTC) पटना** को बेरोजगार युवको/युवतियों के प्रशिक्षण देने हेतु कुल भुगतान की गई राशि ₹78.40 (अठ्ठतर लाख चालीस हजार रूपये) मात्र में से TRTC पटना द्वारा संलग्न परिशिष्ट के अनुसार व्यय की गई राशि ₹6703200.00 के समायोजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का समायोजन उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यादेश पत्रांक 683 दिनांक 17.02.2016 एवं शुद्धि पत्र 788 दिनांक 23.03.2016 के कडिका-06 के आलोक में की जायेगी।

3. TRTC पटना से प्राप्त शेष बची राशि ₹11,36,800.00 (ग्यारह लाख छत्तीस हजार आठ सौ रूपये) को संबंधित योजना के शीर्ष में राशि प्रत्यार्पित की जायेगी।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त राज्यादेश ज्ञापांक 683 दिनांक 17.02.16 एवं शुद्धि पत्र 788 दिनांक 23.03.2016 के आलोक में (TRTC) पटना से प्राप्त मूल अभिश्रवों (संलग्न) एवं प्रत्यार्पित राशि प्रमाण के आधार पर डी०सी० विपत्र महालेखाकार कार्यालय, पटना को भेजा जायेगा।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक.....

ह०/-

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक.....

ह०/-

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

प्रतिलिपि :- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को विपत्र की मूल प्रति आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विपत्रों का डी०सी० विपत्र महालेखाकार बिहार पटना कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित की जाय।
अनु०- ०३ (मूल प्रति)

पटना, दिनांक.....

ह०/-

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-०१(स०), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग/(TRTC) पटना व आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 28.3.17

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।